भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

21.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2513 का उत्तर

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खराब व्यवस्था

2513. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शनिवार, 15 फरवरी, 2025 की रात्रि को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी पकड़ने के दौरान हुई अफरा-तफरी के कारण कितने यात्रियों की मृत्यु हुई;

(ख) नई दिल्ली स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रबंधों में क्या खामियां रहीं, जिसके कारण इतने सारे लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई;

(ग) क्या उक्त घटना के बाद किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) उनमें से कितने यात्रियों ने रेल टिकट खरीदे थे; और

(ङ) उस दिन कितने यात्री रेल से यात्रा नहीं कर पाए और उन्होंने रिफंड का अनुरोध किया, तत्संबंधी स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक घटना की सूचना मिली थी जिसमें 18 व्यक्ति हताहत थे। सभी व्यक्तियों को सही सलामत निकाल कर डेढ़ घंटे के भीतर स्थिति को सामान्य कर दिया गया था।

इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

इस मामले में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए

की अनुग्रह राशि दी गई है। तदनुसार, 33 पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को कुल 2.01 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-ए (धारा 123 के साथ पढ़ी जाने वाली) के तहत परिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/घायलों के लिए रेलवे मुआवजा देता है, जिसका निर्णय रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा आरसीटी के समक्ष दायर किए गए दावे के आवेदन के आधार पर किया जाता है और यह उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् मामलों का निपटान करता है। रेल प्रशासन तब मुआवजा देता है जब माननीय आरसीटी द्वारा दावेदार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है और रेलवे उस आदेश को लागू करने का निर्णय लेता है।

प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा टिकटों को रद्द करने पर रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार टिकटों का रिफंड किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है की जिसमें उल्लिखत कतिपय प्रावधानों के अंतर्गत पुष्टशुदा टिकटों के रद्द करने पर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पूर्व 4 घंटे तक रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। भारत में फैले क्षेत्रीय रेल के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न आधारों पर व्यक्तिगत रिफंड अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिनकी जांच की जाती है और मामला दर मामला आधार पर रिफंड दिया जाता है। ऐसे मामलों के विवरण और उनमें उल्लेखित आधारों को संकलित नहीं किया जाता है।

महाकुंभ-2025 के दौरान, यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रेल ने 7484 स्पेशल रेल सेवाओं सहित 17,300 से अधिक गाड़ियां परिचालित की थीं। इन स्पेशल गाड़ियों में 996 लंबी दूरी की गाड़ियां शामिल हैं। इन सभी उपायों से लगभग 4.24 करोड़ यात्रियों को सेवित किया गया।

स्टेशनों पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को संभालने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र:

i. 2024 के त्यौहारों के दौरान, स्टेशनों के बाहर होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए। ये प्रतीक्षालय सूरत उधना, पटना और नई दिल्ली में भारी भीड़ को संभालने में सक्षम थे। यात्रियों को केवल तब अनुमति दी गई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी।
ii. महाकुंभ के दौरान प्रयाग क्षेत्र के नौ स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई थी।
iii. इन स्टेशनों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर, देश भर के 60 स्टेशनों पर जहां समय-समय पर अत्यधिक भीड़ होती है, वहां स्थायी प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया गया है।

iv. प्रायोगिक परियोजनाएँ नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाज़ियाबाद के स्टेशनों पर शुरू हो गई हैं।

v. इस अवधारणा के अनुसार, अचानक बढ़ी भीड़ को प्रतीक्षा क्षेत्र के भीतर नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों को प्लेटफार्मों पर पहुंचने की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब गाड़ियां प्लेटफार्म पर पहुंच जाए। इससे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी।

2. पहुँच नियंत्रण:
    i. 60 स्टेशनों पर कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल की शुरुआत की जाएगी।
    ii. पुष्टशुदा आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्मों पर सीधे एक्सेस दिया जाएगा।
    iii. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहर के प्रतीक्षालय में इंतजार करेंगे।
    iv. सभी अनधिकृत एंट्री प्वाइंट को सील कर दिया जाएगा।

3. चौड़े पैदल पार पुल:
    i. 12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक पैदल पार पुल के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। रैंप वाले ये चौड़े पैदल पार पुल महाकुंभ के दौरान जन प्रबंधन में बहुत प्रभावी थे। ये नए मानक चौड़े पैदल पार पुल सभी स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे।

4. कैमरे:
    i. महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में कैमरों की बड़ी भूमिका रही। सभी स्टेशनों और आस-पास के क्षेत्रों में गहन निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

5. वार रूम:
    i. बड़े स्टेशनों पर वार रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़ की स्थिति के दौरान सभी विभागों के अधिकारी वार रूम में काम करेंगे।

6. नई पीढ़ी के संचार उपकरण:
    i. भारी भीड़ वाले सभी स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, घोषणा प्रणाली, कॉलिंग प्रणाली जैसे नवीनतम डिज़ाइन के डिजिटल संचार उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

7. नए डिज़ाइन वाले आईडी कार्ड:
    i. सभी कर्मचारियों और सेवा व्यक्तियों को एक नए डिज़ाइन का पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें।

8. कर्मचारियों के लिए नए डिज़ाइन की वर्दी:

i. सभी सदस्य कर्मचारियों को नए डिज़ाइन की वर्दियां दी जाएंगी ताकि उन्हें संकट की स्थिति में आसानी से पहचाना जा सके।

9. स्टेशन निदेशक पद का उन्नयन:
   i. सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।
   ii. स्टेशन निदेशक को वित्तीय सशक्तिकरण मिलेगा ताकि वह स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सके।

10. क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री:
   i. स्टेशन निदेशक को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध गाड़ियों के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

*****